<u>समाचार</u>

मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर लगा 15600 रूपये अर्थदण्ड

कोरबा 24 मार्च 2021 –कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा मास्क के अनिवार्य उपयोग हेतु अभियान चलाते हुए बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर सड़कों, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने वाले एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर 23 एवं 24 मार्च को 15600 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा कड़ी हिदायत दी कि वे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद कोरोना संक्रमण से बचें तथा दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न जोनांतर्गत कार्यवाही करते हुए निगम अमले द्वारा 15600 रूपये का अर्थदण्ड मास्क न पहनने वालों पर लगाया गया। कोरबा जोनांतर्गत 1900 रूपये, टी.पी. नगर जोनांतर्गत 2300 रूपये, कोसबाड़ी व रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 3800 रूपये, बालको जोनांतर्गत 4300 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 900 रूपये, सर्वमंगला जोनांतर्गत 1200 रूपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 700 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।